

मध्यप्रदेश शासन

संचालनालय
सतगुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 5 / 10 / 2018

क्रमांक एफ 10-14/2018/सत्रह/मेडि-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार हेतु जन स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाता है।

2/ बोर्ड के गठन का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

1.	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	माननीय राज्य मंत्री, आयुष विभाग	उपाध्यक्ष
4.	अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष विभाग	सदस्य
7.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्य, म.प्र.	सदस्य सचिव

संस्थागत सदस्य

8.	उप कुलपति, मध्यप्रदेश मेडिकल साईंस युनिवर्सिटी, जबलपुर ।	सदस्य
9.	अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।	सदस्य
10.	प्राचार्य, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कालेज, भोपाल।	सदस्य
11.	प्राचार्य, स्वायत्त हौमोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय ।	सदस्य
12.	प्राचार्य, स्वायत्त यूनानी महाविद्यालय	सदस्य
13.	रजिस्ट्रार, म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद, भोपाल	सदस्य
14.	रजिस्ट्रार, म.प्र. हौमोपैथिक काउंसिल	सदस्य
15.	रजिस्ट्रार, काउंसिल आफ इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश ।	सदस्य
16.	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, औषध विज्ञान/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य

नामांकित सदस्य

17.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के अलग अलग विधाओं के सात प्रतिनिधि	सदस्य
-----	---	-------

3/ बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य निम्नानुसार रहेंगे -

1. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार।
2. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल उन्नयन।

4. दूरस्थ क्षेत्रों की क्षेत्र विशेष की बिमारियों की समय समय पर समीक्षा।
 5. महामारी से बचने के लिये रणनीति का निर्धारण।
 6. राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गये अतिरिक्त कार्य।
- 4/ बोर्ड का कार्यकाल - बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा।
- 5/ बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार ऎलोपैथी हौम्योपैथी आयुर्वेदिक यूनानी विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित कर सकेगा। क्रम संख्या 17 में उल्लेखित नामांकित सदस्यों का चयन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जावेगा।
- 6/ बोर्ड की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

AN

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 10-14/2018/सत्रह/मेडि-2

भोपाल, दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. महानिखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावे)।
8. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. मान. अध्यक्ष /उपाध्यक्ष /सदस्य /सदस्य सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. आर्डर फाईल।

AN

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग